छत्तीसगढ़
शासन
ग्रामोद्योग विभाग

ea=ky;

egkunh Hkou]

jk;iqj

क्रमांक 1006/716/2018/ग्रामो.

प्रति,

lapkyd]

ग्रामोद्योग संचालनालयहाथकरघा प्रभाग

u;k jk;iqj

vVy uxj] fnukad 30-05-2018

विषय-ः "हाथकरघा क्षेत्र में पुरस्कृत बुनकर को मासिक आर्थिक सहायता योजना नियम-2018 (प्रस्तावित) की स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।

lanHkZ&% vkidk i= Ø-@gk-@rd-@2018&19@1099 fnukad 28-04-2018

&&0&&

राज्य शासन एतद् "हाथकरघा क्षेत्र में पुरस्कृत बुनकर को मासिक आर्थिक सहायता योजनानियम-2018" की स्वीकृति प्रदान की जाती है। नियम की प्रति संलग्न है।

mDr lgefr foRr foHkkx ds dEI;wVj Øekad F-2018-48-00447 fnukad 10-04-2018 }kjk nh xbZ gSA

&lgh&

(एस0एल0आ दिले)

mi lfpo

छत्तीसगढ़ शासन,

ग्रामोद्योग विभाग

पृ0क्रमांक /716/2018/ग्रामो.प्रतिलिपि -

vVy uxj] fnukad -05-2018

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ।

2- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय नया रायपुर की ओर उनके पत्र कम्प्यूटर

Øekad F-2018-48-00447 fnukad 10-04-2018 ds lanHkZ esa lwpukFkZA

&lgh&
mi lfpo
छत्तीसगढ़ शासन,
ग्रामोद्योग विभाग

Masik arthik sahayata parstav 1

हाथकरघा क्षेत्र में पुरस्कृत बुनकर को मासिक आर्थिक सहायतk योजना नियम - 2018

1. प्रस्तावना:-

छ.ग.शासन ग्रामोद्योग विभाग द्वारा प्रदेष के राज्य स्तर/राष्ट्रीय स्तर पर हाथकरघा क्षेत्रमें पुरस्कृत बुनकर तथा पुरस्कृत बुनकर की मुत्यु पश्चात आश्रित पति/पत्नि को आर्थिक रूप सेसंरक्षण प्रदान करने हेतु प्रोत्साहन स्वरूप मासिक आर्थिक सहायता प्रस्तावित है।

2. नियम:-

यह नियम "हाथकरघा क्षेत्र में पुरस्कृत बुनकर को मासिक आर्थिक सहायता योजनानियम 2018" कहलायेगा।

3- ifjHkk"kk,¡ %&

इन नियमों के प्रयोजन के लिए -

1. राज्य स्तरीय/राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत बुनकर से तात्पर्य प्रदेष के ऐसे बुनकर जिन्हे हाथकरघा पर वस्त्र बुनाई/उत्पादन के लिए राज्य स्तरीय/राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

2- iqjLd`r cqudj ds Åij vkfJr ifr@ifRu ls rkRi;Z iqjLd`r cqudj dh e`R;q ds i'pkr मासिक आर्थिक सहायता देय होगा।

3. पुरस्कृत बुनकर को मासिक आर्थिक सहायता से तात्पर्य राज्य स्तरीय/राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत ऐसे बुनकर जिसकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो।

4. योजना का उद्देष्य:-

प्रदेश के राज्य स्तरीय/राष्ट्रीय स्तर पर हाथकरघा क्षेत्र में बुनकर को 60 वर्ष याइससे अधिक आयु पश्चात उन्हे तथा पुरस्कृत बुनकर की मृत्यु पश्चात, उसके ऊपर आश्रितपति/पत्नि आर्थिक रूप से संरक्षण प्रदान करना है।

5- Ekkfld vkfFkZd lgk;rk dh lhek %&

प्रदेश के राज्य स्तरीय/राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत बुनकर जिसकी आयु 60 वर्ष या

इससे अधिक हो, उन्हे प्रति माह 5000/- मासिक आर्थिक सहायता तथा पुरस्कृत बुनकर की मृत्यु

पश्चात उनके ऊपर आश्रित पति/पत्नि को आर्थिक रूप से संरक्षण प्रदान करने हेतु प्रतिमाह राष्िा

3000/- मासिक प्रोत्साहन स्वरूप

सहायता देय होगी।6- Ekkfld vkfFkZd

lgk;rk gsrq ik=rk %&

उक्त योजनान्तर्गत सहायता हेतु पात्रता की शर्ते निम्न श्रेणी-

1-प्रदेश के ऐसें बुनकर जिन्हे हाथकरघा बुनाई हेतु राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया गया हो और जिसकी आयु 60 या इससे अधिक हो।

Masik arthik sahayata parstav 2

2-पुरस्कृत बुनकर के परिवार की समस्त स्त्रोतो से वार्षिक आय प्रतिवर्ष 2.00 लाख से अधिक न हो।

3-पुरस्कृत बुनकर 60 वर्ष की आयु तक हाथकरघा पर वस्त्र बुनाई का कार्य किया हो।4-पुरस्कृत बुनकर की 60 वर्ष की आयु के पहले आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके ऊपर आश्रित पति/पत्नि को उपर्युक्त सहायता हेतु 60 वर्ष की आयु सीमा से छूट होगी।5-इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी पुरस्कृत बुनकर को लाभ मिलेगा।6-बुनकर की आयु सीमा ष्िाक्षा प्रमाण पत्र/राषन कार्ड/आधार कार्ड/जन्म प्रमाण पत्र में उल्लेखित आयु मान्य की जावेगी । आयु में विवाद की स्थिति निर्मित होने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व स्तर पर प्रमाणीकरण को मान्य किया जावेगा। 7-iqjLd`r cqudj]dsUnz@jkT; 'kklu ds fdlh Hkh ,d laLFkku ls ekfld vkfFkZd lgk;rk लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। यदि पुरस्कृत बुनकरको किसी अन्य विभाग से मासिक आर्थिक सहायता का लाभ मिल रहा है, तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।8-इस योजना में उल्लेखित नियम एवं शर्तो का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित हितग्राही को तत्काल प्रभाव, सहायता से वंचित किया जावेगी।

9-क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा सहायता राष्िा पात्र पुरस्कृत बुनकर के बैंक खाता में सीधे gLrkraj.k fd;k tkosxkA

7. योजना की स्वीकृति:-

उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता की स्वीकृति का पूर्ण अधिकार संचालक ग्रामोद्योगहाथकरघा को होगा।

8. योजना के क्रियान्वयन हेतु एजेन्सी:-

उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणनसहकरी संघ नोडल एजेन्सी होगी।

9. योजन के लाभ हेतु आवेदन:-

मासिक आर्थिक सहायता योजनान्तर्गत संबंधित पुरस्कृत बुनकर के आवेदन पत्र जिला

हाथकरघा कार्यालय में जमा होंगे। अधिकारी द्वारा सत्यापन उपरान्त आवेदन संचालक, ग्रामोद्योग
को अनुषंसा सहित प्रेषित किये जावेगे। राज्य स्तर पर आवेदनों का परीक्षण उपरान्त छत्तीसगढ़
राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन संघ को भेजा जायेगा।

Masik arthik sahayata parstav 3

10. योजना की मानिटरिंग:-

उक्त योजना क्रियान्वयन की मानिटरिंग हेतु संचालक ग्रामोद्योग हाथकरघा की
अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जावेगी, जिसमें निम्न सदस्य होगें।

1. संचालक ग्रामोद्योग हाथकरघा & v/;{kA
2. प्रबंध संचालक/उनका प्रतिनिधि अपेक्स बुनकर संघ & lnL;A
3- la;qDr lapkyd gkFkdj?kk & lnL;A
4- mi lapkyd gkFkdj?kk eq[;ky; & lnL; lfpoA

11. योजना के क्रियान्वयन में विवाद की स्थिति में:-

उक्त योजना के क्रियान्वयन में विवाद की स्थिति में संचालक ग्रामोद्योग हाथकरघा का
निर्णय अंतिम होगा। जो सभी पक्षो के लिए बंधनकारी होगा।

12. योजना में संषोधन:-

हाथकरघा क्षेत्र के बुनकरो को मासिक आर्थिक सहायता योजना नियम में
आवष्यकतानुसार, परिवर्तन,परिवर्धन,संषोधन आदि का अधिकार प्रषासकीय विभाग में निहित होगा।
जो सभी पक्षो की लिए बंधनकारी होगा।

lgh
mi lfpo
छत्तीसगढ़ शासन
ग्रामोद्योग विभाग मंत्रालय महानदी भवन

vVy uxj jk;iqj

Masik arthik sahayata parstav 4